छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर
:: आदेश ::

नया रायपुर दिनांक 28/5/2016.

कमांक /2038/1521/2016/32 :: Ease of Doing Business के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण एकल खिडकी प्रणाली के माध्यम से किया जाना है जिसमें भवनों का स्थल निरीक्षण आवश्यक है। प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु राज्य शासन, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (कमांक–23, सन 1973) की धारा 73(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए भवनों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित करते हुए विभिन्न प्रकार के भवनों के निर्माण की अनुज्ञा, पूर्णता एवं अधिभोग प्रमाण पत्र के स्थल निरीक्षण हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी सिद्धांत प्रसारित करता है:–

1. निर्माण किये जाने वाले भवनों को जोखिम के अनुसार निम्नानुसार तीन श्रेणियों में विभक्त किया जाता है :–

   (एक) कम जोखिम वाले भवन – 09 मीटर ऊंचाई तक तथा भू–खण्ड का आकार 120 वर्गमीटर तक

   (दो) मध्यम जोखिम वाले भवन – 09 मीटर से 12.5 मीटर ऊंचाई तक तथा आवासीय उपयोग हेतु भू–खण्ड का आकार 200 वर्गमीटर तक एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 1000 वर्गमीटर तक।

   (तीन) उच्च जोखिम वाले भवन – 12.5 मीटर ऊंचाई से अधिक तथा आवासीय भू–खण्ड का आकार 200 वर्गमीटर से अधिक एवं औद्योगिक भू–खण्ड 1000 वर्गमीटर से अधिक ।

   (1) कम जोखिम वाले भवनों की दशा में स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्र के साथ केवल एक बार प्लींथ लेबल पर स्थल निरीक्षण किया जावेगा।

(2) मध्यम जोखिम वाले भवनों में वास्तुविद्/इंजीनियर के द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र के साथ एक बार निरीक्षण किया जावेगा ।

(3) उच्च जोखिम वाले भवनों की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 34 के अनुसार विहित स्तर पर स्थल निरीक्षण आवश्यक होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी. एल. सांकला)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

क्रमांक /2038/1521/2016/32 नया रायपुर, दिनांक 28/5/2016

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,
3. आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश
4. संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय,

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव